भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3218

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण विस्तार

3218. श्री बैन्नी बेहनन :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में आईफोन विनिर्माण को बढाने संबंधी हाल की पहलों के बारे में जानकारी है;

(ख) देश में इसके वर्तमान तथा अनुमानित विनिर्माण प्रचालनों की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए विदेशी निवेश को समर्थन देने तथा मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम विकसित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत सरकार ने मोबाइल फोन सहित देश में इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण का विस्तार करने के लिए कई पहल की हैं। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित मोबाइल फोन मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को दिनांक 01.04.2020 को अधिसूचित किया गया था। पीएलआई योजना अर्थात वर्ष 2020-21 की शुरुआत के बाद से, मोबाइल फोन का उत्पादन 24% से अधिक की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 2,20,000 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2023-24 में 4,22,000 करोड़ रुपये हो गया है और मोबाइल फोन निर्यात 78% की सीएजीआर से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 22,868 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2023-24 में 1,29,074 करोड़ रुपये हो गया है (स्रोत: उद्योग अनुमान)।

(ख): उद्योग अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, इलेक्ट्रनिकी उत्पादन बढ़कर 11.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें अकेले मोबाइल फोन उत्पादन 5.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा, यह उम्मीद की जाती है कि भारत का इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण क्षेत्र 2030 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है।

(ग): इलेक्ट्रनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित और प्रोत्साहित करने तथा इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण के लिए एक मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को अनुबंध-1 में रखा गया है।

******

इलेक्ट्रनिकी मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने और प्रोत्साहित करने तथा इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण के लिए एक मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार है:-

1. **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम**: इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण को व्यापक और गहरा बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 15.12.2021 को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी से, इस कार्यक्रम को हाल ही में दिनांक 21.09.2022 को संशोधित किया गया है। संशोधित कार्यक्रम प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ मिश्रित सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए समान रूप से सेमीकंडक्टर फ़ैब्स के लिए परियोजना लागत का 50% वित्तीय समर्थन प्रदान करता है।
   पात्र आवेदकों के लिए अब निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:
   • **सेमीकंडक्टर फ़ैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना**: यह देश में सेमीकंडक्टर वेफ़र निर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सभी प्रौद्योगिकी नोड्स में सिलिकॉन-आधारित सेमीकंडक्टर फ़ैब की स्थापना के लिए परियोजना लागत की 50% वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

   • **डिस्प्ले फैब की स्थापना के लिए संशोधित योजना**: यह टीएफटी एलसीडी / एएमओएलइडी आधारित डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

   • **भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना**: यह भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित) फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए पात्र आवेदकों को पूंजीगत व्यय की 50% वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

   • **सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण**: सरकार ने दक्षता और चक्र समय बढ़ाने के लिए मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है।

   • **डिजाइन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना**: यह आईसी, चिपसेट, एसओसी, सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और नियोजन के विभिन्न चरणों में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजाइन बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रदान करती है। इस योजना में "उत्पाद डिजाइन संबंद्ध प्रोत्साहन" और "परिनियोजन संबंद्ध प्रोत्साहन" दोनों ही शामिल हैं।

   सरकार ने मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास में सहयोग के लिए सिंगापुर, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

   एप्लाइड मैटीरियल्स ने 4 वर्षों में 400 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ बेंगलुरु में एक सहयोगी इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है। यह इंजीनियरिंग केंद्र सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरणों के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और व्यावसायीकरण पर केंद्रित है। एएमडी ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा वैश्विक डिज़ाइन केंद्र, एएमडी टेक्नोस्टार स्थापित किया है। यह केंद्र 3डी स्टैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास पर केंद्रित है।

भारत देश में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत 1.52 लाख करोड़ रुपये के संचयी निवेश वाली 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। इन इकाइयों पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 15 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, 41 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को सी-डैक बेंगलुरु में चिपआईएन सेंटर में स्थापित राष्ट्रीय ईडीए टूल ग्रिड द्वारा उपलब्ध कराए गए ईडीए टूल्स तक पहुंच के लिए मंजूरी दी गई है।

सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वीकृत सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाओं से लगभग 25,000 उन्नत प्रौद्योगिकी नौकरियों का प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

2. **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)** को 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण में शामिल पात्र कंपनियों को वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष की तुलना में) पर 3% से 6% का प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। फरवरी 2025 तक, इस योजना से 10,905 करोड़ रुपये का संचयी निवेश हुआ है, जिससे 7,15,823 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन, 3,90,387 करोड़ रुपये का संचयी निर्यात हुआ है और 1,39,670 अतिरिक्त रोजगार (प्रत्यक्ष नौकरियां) सृजित हुआ है।
3. **मार्च, 2021 को अधिसूचित आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना**, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर की निवल वृद्धिशील बिक्री पर चार साल के लिए 4% से 2%/1% प्रोत्साहन प्रदान करती है। 29 मई, 2023 को अधिसूचित आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0, लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर उपकरणों की निवल वृद्धिशील बिक्री पर छह साल के लिए औसतन 5% प्रोत्साहन प्रदान करती है। फरवरी 2025 तक, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 दोनों ने संयुक्त रूप से 10,365.05 करोड़ रुपये का कुल संचयी उत्पादन, 522.15 करोड़ रुपये का कुल संचयी निवेश और 5132 (प्रत्यक्ष नौकरियाँ) का कुल संचयी रोजगार सृजन किया है।
4. **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना** को 01 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला, यानी इलेक्ट्रॉनिक घटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले निर्माण इकाइयाँ, एटीएमपी इकाइयाँ, विशेष उप-असेंबली और उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान शामिल करने वाली इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहचान की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। फरवरी 2025 तक, इस योजना ने 10,723 करोड़ रुपये का संचयी निवेश आकर्षित किया है, जिससे 27,429 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन हुआ है और 38,206 लोगों के लिए रोजगार सृजन हुआ है।
5. **01 अप्रैल, 2020 को संशोधित इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना** अधिसूचित की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रनिकी निर्माताओं को देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए उनकी आपूर्ति श्रृंखला के साथ आकर्षित करने के लिए तैयार फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड / प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना है। यह योजना देश भर में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
6. **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस)**: इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और अक्षमता की भरपाई के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दिनांक 27 जुलाई, 2012 को अधिसूचित किया गया था। अगस्त, 2015 में इस योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद वर्टिकल को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी, 2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%। यह प्रोत्साहन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घटकों की 44 श्रेणियों/वर्टिकल के लिए उपलब्ध है, जो संपूर्ण इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हैं।

यह योजना 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और कार्यान्वयन मोड में है। फरवरी 2025 तक, इस योजना ने 48,437 करोड़ रुपये का संचयी निवेश आकर्षित किया है, जिससे 13,98,184 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन हुआ है और 1,52,039 लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है।

7. **इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना**: निवेश आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करने हेतु दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 को इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना अधिसूचित की गई थी।
8. **100% एफडीआई**: वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, लागू कानूनों/नियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन, इलेक्ट्रनिकी विनिर्माण के लिए (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है।
9. **टैरिफ संरचना का युक्तिकरण**: इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सेलुलर मोबाइल फोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक घटक, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद और मेडिकल इलेक्ट्रनिकी उपकरण शामिल हैं।
10. **पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट**: निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अधिसूचित पूंजीगत वस्तुओं को "शून्य" मूल सीमा शुल्क पर आयात की अनुमति है।

******